(5)

उत्तर मध्य रेल

पत्रांक– मेड/आ0छा0/मान्यता/पैथलॉजी/मथुरा/2021
दिनांक– 24.03.2021

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा

## अभिरूचि की अभिव्यक्ति

# स्वास्थ्य केन्द्र, मथुरा में बर्हिस्रोतों द्वारा पैथलॉजी सेवाएं प्रदान करने हेतु विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, आगरा पैथलॉजी जाँच से सम्बन्धित पैथलॉजिस्ट एवं लेबोरेटरीज से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना प्रयोगशाला चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य पैथलॉजिस्ट एवं लेबोरेटरीज (एनएबीएल एवं नॉन–एनएबीएल) संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं –

1. पैथलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली प्रयोगशाला का आवश्यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला – मथुरा द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. पैथलॉजिस्ट की सेवाएं सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो दो वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी।
3. यदि लेबोरेटरी का पहले वर्ष का कार्य सन्तोषजनक रहा तो ही अगले विस्तार हेतु विचार किया जायेगा तथा इस दौरान सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
4. प्रयोगशाला धारक पैथलॉजिस्ट, एक सुव्यवाहरिक एवं प्रशिक्षित प्रयोगशाला तकनीशियन को स्वास्थ्य केन्द्र, मथुरा से प्रतिदिन समय प्रातः 09:30 बजे से दोपहर 13:00 बजे तक के लिये रक्त, मूत्र, मल इत्यादि जांचों के नमूने इकट्ठा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रयोगशाला तकनीशियन रेल कर्मचारी के निवास स्थान से भी सेम्पल इकट्ठा करेगा।
5. अधिकृत रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
6. भुगतान की पद्वति सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा होगी।
7. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद द्वारा Arbitration Act (26) 1996 की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की दशा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी। जिनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा। असहमति की दशा में प्रकरण जिला न्यायालय, आगरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
8. नामांकन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेरठ द्वारा सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल या एनएबीएल) 2014 मेरठ की रेट लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ पैथलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, एक सील बन्द लिफाफा के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0म0रे0, आगरा छावनी (उ0प्र0) 282001 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा करें।
9. नज़दीकी लेबोरेटरी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(नोटः जो भी उपरोक्त सभी सेवायें दे सकते हैं वे ही आवेदन करें)।

24/3/21

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा